झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,गुरूवार, दिनांक– 18 माघ,1940 (श0) / 07 फरवरी,2019 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
133.	अ0सू0–13	श्री प्रदीप यादव	दोषियों पर कार्रवाई	ऊर्जा	15.01.19
134.	अ0सू0–29	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	ठोस पहल करना।	अ0ज0जा0, अ0जा0अ0सं0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	28.01.19
135.	अ0सू0–18 (उत्तर मुद्रित)	डा0 इरफान अंसारी	राशियों का उपयोग।	अ0ज0जा0, अ0जा0अ0सं0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	18.01.19
136.	अ0सू0–25 (उत्तर मुद्रित)	श्री प्रकाश राम	जाँच कराना।	अ0ज0जा0, अ0जा0अ0सं0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	23.01.19
137.	अ0सू0–30	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	प्रभार दिलाना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	29.01.19
138.	अ0सू0–15	श्री प्रदीप यादव	कार्य योजना बनाना।	ऊर्जा	17.01.19
139.	अ0सू0–16 (उत्तर मुद्रित)	श्री जगरनाथ महतो	कब्रिस्तान की घेराबंदी।	अ0ज0जा0, अ0जा0अ0सं0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	17.01.19
140.	अ0सू0–31	श्री ताला मराण्डी	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	01.02.19
141.	अ0सू0–26	श्री राजकुमार यादव	दोषियों पर कार्रवाई।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	23.01.19
142.	अ0सू0–24	श्री अरूप चटर्जी	पद से हटाना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	23.01.19
143.	अ0सू0–32	श्री राधाकृष्ण किशोर	खर्च राशि का ब्यौरा।	अ0ज0जा0, अ0जा0अ0सं0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	01.02.19

राँची,
दिनांक– 07 फरवरी,2019 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

क्र0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2018-1116/वि0स0,राँची,दिनांक- 04/02/19

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान-सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
04/02/19
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2018-1116/वि0स0,राँची,दिनांक- 04/02/19

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव /आप्त सचिव सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न) /संयुक्त सचिव,(प्रश्न) झारखण्ड विधान-सभा को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
04/02/19
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2018-1116/वि0स0,राँची,दिनांक- 04/02/19

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
04/02/19
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

अरुण

अरुण
04.02.19

133

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 07.02.2019 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में मात्र 6 कम्पनियों द्वारा 01 जनवरी,2015 से 31 दिसम्बर,2018 तक 400 करोड़ की बिजली चोरी का मामला बिजली विभाग के सामने आया है; **(दैनिक जागरण, राँची 11 अक्टूबर, 2018)**	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि तत्कालीन CMD नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा इसके जाँच के आदेश निर्गत किए गए हैं;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या 2/स०को०ऊ०नि० 4241/राँची, दिनांक 23.11.2017 के द्वारा जाँच करने हेतु एक विशेष जाँच दल गठित कर आदेश निर्गत किये गये हैं।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या राज्य सरकार इन दोषी कंपनियों एवं विभाग के शामिल अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा गठित विशेष जाँच दल (SIT) द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 कम्पनियों द्वारा 01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2017 (जाँच की अवधि) में फीडर मीटर एवं उपभोक्ताओं के मीटर के मान पठन के अंतर के कारण लगभग रू० 7,96,13,763/- की अन्तर पाई गई है। 2. ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा गठित विशेष जाँच दल की अंतरिम प्रतिवेदनों के आलोक में विभागीय पत्रांक-2106, दि.-27.08.18 तथा 2317, दि.–25.09.18 के द्वारा संबंधित सहायक विद्युत अभियंताओं/कार्यपालक विद्युत अभियंताओं/विद्युत अधीक्षण अभियंताओं के विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश निगम को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....389...../ दिनांक 05/02/19..

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

134

श्री स्टीफन मराण्डी, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–07.02.19 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं० –अ०सू०–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	माननीया मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के 12 वर्षो के उपरान्त गठित झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम में अल्पसंख्यक मामलों के जानकार कोटे में से दो सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं की जा सकी है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम में अल्पसंख्यक मामलों के जानकार कोटे में से एक का मनोनयन निदेशक के रूप में की जानी है जिसपर कार्रवाई विचाराधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र से मिलने वाली हर वर्ष 50 करोड़ अनुदान राशि के दर से कुल 900 करोड़ से ज्यादा की राशि से निगम को वंचित रहने के कारण अल्पसंख्यक छात्र या युवा को आजतक निगम से किसी भी लाभकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका है,	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राँची की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के सौजन्य से DBT माध्यम से वर्ष 2013–14 में रू० 17.4101275 करोड़, 2014–15 में लगभग रू० 9.7570032 करोड़ एवं 2017–18 में रू० 43.5855637 करोड़ प्री० मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृति की राशि अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को उपलब्ध करायी गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने गारण्टी लेटर निर्गत करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को अनुदान राशि आवंटित करने हेतु आज तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजी है,	अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से ऋण प्राप्त कर संबंधित समुदाय के लाभान्वितों को ऋण मुहैया कराने के लिए विभागीय संकल्प संख्या–3811 दिनांक–25.10.18 द्वारा झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राँची के पक्ष में राशि 3.00 करोड़ राजकीय ब्लॉक गारण्टी प्रदान की गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अल्पसंख्यक छात्र एवं युवा के कल्याणार्थ इस दिशा में कोई ठोस पहल करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कण्डिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांकः– 08/वि०स०प्र०–35/2018 578 राँची, दिनांकः– 06/02/19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –950, दिनांकः– 28.01.2019 के प्रसंग में दो सौ (200) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०के०लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

G:\Vidhan Sabha Question..Docx

अतारांकित 135. श्री डॉ० इरफान अंसारी--क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एम०एस०डी०पी० योजना के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना चालायी जा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले चार वर्षों में एम०एस०डी०पी० योजना का राज्य के प्रखण्डों में समुचित रूप में क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण लाखों अल्पसंख्यक परिवार उक्त योजना के लाभ से वंचित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब एक्शन प्लान के तहत पिछले वर्षों के MSDP योजना के पिछले सभी राशियों का उपयोग करने हेतु पहल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर प्रभारी मंत्री--

(1) स्वीकारात्मक

(2) अस्वीकारात्मक । MSDP योजनान्तर्गत वर्ष-2013-2014 से अबतक कुल 4978.344 लाख रुपया की राशि भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई है जिसे स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिलों को आवंटित करते हुए योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया है । उक्त के क्रम में कुल 149 योजना पूर्ण कर ली गई है तथा शेष योजनाओं पर संबंधित जिला द्वारा कार्य किया जा रहा है;

(3) उपर्युक्त कण्डिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

उत्तर मुद्रित

136. श्री प्रकाश राम--क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम के विज्ञापन संख्या-433 दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के द्वारा भिन्न-भिन्न पदों के कुल 17 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में की गई नियुक्तियों में आरक्षण का अनुपालन नहीं किया गया है और निगम में कार्यरत कर्मी के रिस्तेदारों को भी नियुक्ति किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नियुक्ति में की गई अनियमितता की उच्च स्तरीय जाँच कराने के साथ संलिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर प्रभारी मंत्री--

(1) स्वीकारात्मक

(2) संविदा पर किए गए नियुक्ति में आरक्षण का अनुपालन किया गया है, आरक्षण के आलोक में वर्गवार रिक्त पदों के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में किया गया है-

आरक्षणवार स्थिति:-

सामान्य जाति	- 06
अनुसूचित जनजाति	- 05
अनुसूचित जाति	- 03
पिछड़ी वर्ग	- 02

चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के मेधा अंक के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है । जहाँ तक निगम में कार्यरत कर्मियों के रिस्तेदारों को नियुक्त किए जाने का प्रश्न है, उस पर कमिटी का गठन कर जाँच की कार्रवाई की जा रही है ।

(3) नियुक्ति नियमसम्मत् की गयी है ।

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–07.02.2019 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–30 का उत्तर।

क०सं०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स०वि०स०	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	**उत्तर**
01	क्या यह बात सही है कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पत्रांक–म०नि०–01स्था० (वरी०) 112/29/2013–14–1261, दिनांक– 15.07.2016 द्वारा प्रकाशित वरीयता सूची के आलोक में श्री मनोज कुमार, संयुक्त मत्स्य निदेशक पद और वरीयता दोनों ही दृष्टिकोण से श्री हीनाथ द्विवेदी, उप मत्स्य निदेशक से वरीय है,	आंशिक स्वीकारात्मक। बिहार मत्स्य सेवा वर्ग–2 (राजपत्रित मूल कोटि) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की प्रकाशित मेधा सूची में (1990 में) श्री हींनाथ द्विवेदी का नाम क्रमांक–4 पर और श्री मनोज कुमार का नाम क्रमांक 5 पर अंकित था। अविभाजित बिहार राज्य के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 2010 दिनांक–13.10.1998 द्वारा मत्स्य सेवा के पदाधिकारियों (राजपत्रित वर्ग–2) की निर्गत वरीयता सूची के वरीयता क्रमांक 18 पर श्री हींनाथ द्विवेदी की वरीयता एवं क्रमांक 19 पर श्री मनोज कुमार की वरीयता निर्धारित की गयी। झारखण्ड सरकार के द्वारा भी मत्स्य सेवा के पदाधिकारियों की प्रकाशित वरीयता सूची में श्री हींनाथ द्विवेदी का वरीयता क्रमांक 01 एवं श्री मनोज कुमार का वरीयता क्रमांक 02 निर्धारित किया गया है।
02	क्या यह बात सही है कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिसूचना संख्या–06/राज०स्था०–34/2017–527, दिनांक–22.02.2018 द्वारा पद एवं वरीयता को नजरअंदाज कर श्री मनोज कुमार, संयुक्त मत्स्य निदेशक को मत्स्य निदेशक का प्रभार न देकर उनसे कनीय श्री हीनाथ द्विवेदी, उप मत्स्य निदेशक को प्रभार दिया गया है, जो नियम के प्रतिकुल है,	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या–527 दिनांक–23.02.2018 के द्वारा कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने कार्यो के अतिरिक्त मत्स्य निदेशक, झारखण्ड, राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो, क्या सरकार श्री हीनाथ द्विवेदी को मत्स्य निदेशक के दिये गये प्रभार को निरस्त करते हुए श्री मनोज कुमार, संयुक्त मत्स्य निदेशक को प्रभार दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 के आलोक में वर्तमान में आवश्यक नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञाप संख्या– 6 वि/वि0स0 (अल्पसूचित)–09/2019 प०पा०/203/राँची, दिनांक 06/02/2019

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–प्र० 991 वि०स० दिनांक–29.01.2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में एवं अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/19

(सुमन कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव

138

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 07.02.2019 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में तत्काल 2300 मेगावाट बिजली आपूर्ति करने में विद्युत विभाग सक्षम नहीं है और पूर्ण विद्युतीकरण करने पर राज्य को 4000 मेगावाट की जरूरत होगी;	स्वीकारात्मक है। वर्त्तमान में बिजली की आवश्यकता निम्न प्रकार से है:- NTPC-516.5 MW, NHPC-70.83 MW, PTC-155.56 MW, DVC-614 MW, TVNL-420 MW, APNRL-189 MW, Inland Power-63 MW, Sikidri-130 MW, ABCIL-11 MW, Rungta-04 MW, Wind Power-85 MW, Solar-26 MW कुल 2284.89 मेगावाट। पूर्ण विद्युतीकरण करने पर 24x7 विद्युत आपूर्ति के लिए लगभग 4000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के पास TVNL एवं सिकिदिरी हाईडल पावर से मात्र 250–300 मेगावाट की ही उत्पादन होती है;	मानसून अवधि में गेतलसूद डैम में पानी की उपलब्धता रहने पर सिकिदिरी हाईडल पॉवर की दो यूनिट (2 X 65 MW) से 130 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है। अन्य महीनों में जल संसाधन विभाग द्वारा पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के पश्चात् ही Peak Load में अवश्यकता अनुसार उत्पादन होता है। TVNL की 2 यूनिट (2 X 210 मेगावाट) से औसतन 380–400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता है। कभी-कभी कोयला की कमी के कारण/तकनीकी कारणों से उत्पादन सिर्फ एक यूनिट से लगभग 180–200 मेगावाट हो पाता है।
3. क्या यह बात सही है कि PTPS पतरातू NTPC को दे देने के बाद उससे झारखण्ड को मिलनेवाली बिजली उत्पादन पूर्ण रूप से ठप है;	स्वीकारात्मक है। परन्तु NTPC द्वारा झारखण्ड राज्य को अपने कोरवा और फरक्का-III ईकाई से 100 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या राज्य सरकार बिजली कमी को भरपाई करने हेतु जनता पर बिना अतिरिक्त भार दिये ही कोई ठोस कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विद्युत उपलब्धता बढ़ाने हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा रहें है:- (क) पतरातू में NTPC द्वारा पहले चरण में 3 x 800 MW का नया प्लांट स्थापित किया जा रहा है जिसकी पहली यूनिट से दिसम्बर 2022 तक विद्युत उत्पादन शुरू होने का लक्ष्य है। (ख) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 500 मेगावाट Wind Power क्रय करने हेतु SECI से विद्युत क्रय एकरारनामा किया है, जिससे वर्त्तमान में लगभग 85 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति राज्य को हो रही है। (ग) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 700 मेगावाट सौर ऊर्जा क्रय हेतु SECI से एकरारनामा किया है, जिसकी उत्पादन दिसम्बर 2019 तक शुरू होने का लक्ष्य है। (घ) NTPC द्वारा झारखण्ड राज्य में स्थापित की जा रही North Karnpura Plant से राज्य को लगभग 500 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति की जाएगी जिसका उत्पादन मई, 2020 तक शुरू होने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....407...../ दिनांक .06./02./19..

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/2019

सरकार के संयुक्त सचिव।

उत्तर सूचित

139. श्री जगरनाथ महतो--क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश अन्तर्गत कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य खतियान में दर्ज कब्रिस्तान की जमीन में किये जाने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि अन्तिम सर्वे सन-1932 में हुआ, उस वक्त अधिकांश कब्रिस्तान अस्तित्व में नहीं थे, जो बाद में या तो सर्वे खतियानी जमीन में ही बनाये गये या तो फिर हकीयत रैयती केवाला बइला कलामी या गैर-मजरूआ खास में बनाये गये है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्वे खतियान में दर्ज कब्रिस्तान के अलावे हकीयत रैयती केलावा बइला कलामी और बंदोबस्त गैर-मजरूआ खास जमीन में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

उत्तर प्रभारी मंत्री--

(1) कब्रिस्तान की संख्या अधिक होने के कारण खतियान में दर्ज कब्रिस्तान का घेराबंदी प्राथमिकता के आधार पर की जाती है ।

(2) स्वीकारात्मक

(3) बजट उपबंध के आलोक में जिलों को राशि आवंटित की जाती है । योजना का चयन उपलब्ध राशि के आलोक में जिला द्वारा किया जायेगा ।

140

श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 07.02.2019 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू–31 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री ताला मराण्डी, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1 क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान-सभा क्षेत्र के मण्डरो प्रखण्ड में विद्युतीकरण एवं पावर सब स्टेशन का निर्माण का काम आई०एल० एन्ड एफ०एस० कम्पनी को दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि आई०एल० एन्ड एफ०एस० कंपनी निर्धारित समय सीमा में मात्र 25 प्रतिशत विद्युतीकरण का काम ही पूरा कर पायी है एवं पावर सब-स्टेशन का काम अब तक शुरू ही नहीं हुआ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कंपनी पर कार्रवाई करते हुए अविलंब मण्डरो प्रखण्ड में विद्युतीकरण का काम करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	IL&FS ने अपने वित्तीय संकट के कारण विद्युतीकरण का कार्य दो माह पूर्व से बंद कर दिया है, जिस कारण विभाग द्वारा नियमानुसार IL&FS के कार्यादेश को दिनांक 23.01.2019 से रद्द कर दी गई है। उसके उपरांत शेष सभी कार्यों को पूर्ण करने हेतु नये कार्यकारी एजेंसी के चयन हेतु निविदा 28.01.2019 को प्रकाशित की जा चुकी है एवं कार्य आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। 06 माह में शेष कार्य पूर्ण कर देने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक...403.../ दिनांक ...06/02/19

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

141

श्री राजकुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.02.2019 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–26 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री राजकुमार यादव, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा व चतरा जिले में कृषि पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 2005–06 और वर्ष 2007–08 में कई पावर टिलर कागजों में ही बाँटे गये थे, जिसकी पुष्टि निगरानी जाँच में हुई है;	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 में कोडरमा व चतरा जिलान्तर्गत विभिन्न कृषि विभागीय योजनाओं यथा– पॉली हाऊस निर्माण, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की योजना, पावर टिलर वितरण की योजना एवं औषधीय पौधों/सामग्रियों के उत्पादन की योजना में बरती गयी अनियमितता के क्रम में श्री अमरेश कुमार झा, तत्कालीन अनुमण्डल–सह–जिला कृषि पदाधिकारी, कोडरमा अतिरिक्त प्रभार जिला कृषि पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जो सम्प्रति प्रक्रियाधीन है। वर्त्तमान में संचालन–सह–विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले से सम्बद्ध जाँच अधिगम विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संचालन–सह–विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच अधिगम उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त विभागीय स्तर से समीक्षोपरान्त नियमानुकूल निर्णय लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में कोडरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज है, जिसका थाना कांड सं0–160/2011 है। उक्त कांड में श्री झा की गिरफ्तारी के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0–3634 दिनांक–05.10.2016 के द्वारा श्री झा को दिनांक–17.09.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री झा उक्त मामले में सत्र न्यायालय, कोडरमा के आदेश से दिनांक–28.09.2016 को जमानत पर रिहा हुए। जमानत पर रिहा होने के पश्चात नियमानुसार अधिसूचना सं0–4001 दिनांक–18.11.2016 के द्वारा श्री झा को पुनः निलंबित किया गया तथा अधिसूचना सं0–1407 दिनांक–10.05.2018 के द्वारा इनको निलंबन मुक्त किया गया। उक्त के क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय अधिसूचना सं0–3163 दिनांक–12.10.2018 के द्वारा राजनगर थाना कांड सं0–03/18 दिनांक–05.01.2018 के आलोक में श्री झा को दिनांक–19.09.2018 के प्रभाव से निलंबित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि पावर टिलर के साथ–साथ ट्रैक्टर वितरण, जेट्रोफा पौधा रोपण के अलावा पौधा रोपण में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपरोक्त खण्ड में उत्तरित।

3	क्या यह बात सही है कि धान अधिप्राप्ति के लिए माँगे गये 49.74 करोड़ रूपये के संबंध में देवघर के पूर्व सहकारिता पदाधिकारी के खिलाफ 2014-15 की प्रक्रिया को संदेहास्पद पाया है और कार्रवाई की अनुशंसा की गई है;	स्वीकारात्मक। श्री सुशील कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, देवघर के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम, 2014-15 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-164 (अनु0) दिनांक-18.01.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है, जिसमें संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम के आलोक में विभागीय पत्रांक-1991 दिनांक-19.11.2018 द्वारा श्री कुमार से उनके विरूद्ध अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड प्रस्ताव "02(दो) वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने" पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी है। द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब प्राप्त होने के उपरांत दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई की जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामलों में गड़बड़ी कर खजाने का धन हड़पने वाले दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में उत्तरित।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-02/कृ0गो0रा0-अ0सू0-01/2019 336 **कृ0, राँची, दिनांक-** 04-02-19

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-801 दिनांक-23.01.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/19

(विधान चन्द्र चौधरी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-02/कृ0गो0रा0-अ0सू0-01/2019 336 **कृ0, राँची, दिनांक-** 04-02-19

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी-OASYS/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

(142)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–07.02.2019 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः–

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1.	क्या यह बात सही है कि श्री सुशील कुमार तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, देवघर द्वारा वर्ष 2011–12 में धान अधिप्राप्ति में वित्तीय गड़बड़ी की गयी थी, जिसमें इनके विरूद्ध विभागीय जाँच संचालित किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। श्री सुशील कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, देवघर के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम, 2014–15 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–164 (अनु0) दिनांक–18.01.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जिसमें संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम में श्री कुमार के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये। उक्त आलोक में उनके विरूद्ध संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त है। तद्नुसार प्रस्तावित दण्ड के अधिरोपण से पूर्व आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–1991 दिनांक–19.11.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी थी। द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त हो चुका है, जिसकी समीक्षा के उपरान्त इनके विरूद्ध 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित करने की कार्रवाई जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पदा0 पर I.C.D.P. परियोजना चतरा, कोडरमा एवं जामताड़ा जिलों में महाप्रबंधक के पद पर पदस्थापन अवधि में भी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। श्री सुशील कुमार पर आई0सी0डी0पी0, चतरा एवं जामताड़ा जिले में महाप्रबंधक के पद पर पदस्थापन अवधि में वित्तीय अनियमितता का परिवाद पत्र प्राप्त हुआ है। परिवाद पत्र में उल्लेखित आरोपों की जाँच हेतु कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक–2422 दिनांक–24.08.2018 द्वारा एक त्रिस्तरीय जाँच कमिटी का गठन किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि, खण्ड–2 में वर्णित उक्त पदाधिकारी द्वारा पुनः विभागीय अधिसूचना संख्यः–1291 , दिनांक–31.07.2018 एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन नहीं कर माननीय उच्च न्यायालय, राँची में मुकदमा किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की गलत व्याख्या कर विभाग को गुमराह करने के कारण विभागीय सचिव द्वारा इनके विरूद्ध Reasoned Order पारित किया गया, फिर भी यह वर्तमान समय में राज्य के शीर्ष वित्तीय संस्थान	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या–1292 दिनांक–31.07.2018 के द्वारा श्री सुशील कुमार, को प्रबंध निदेशक, झारखण्ड कोऑपरेटिव फेडरेशन, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया तथा झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची का अतिरिक्त प्रभार अधिसूचित किया गया, परन्तु श्री कुमार द्वारा उक्त विभागीय अधिसूचना एवं निदेश का अनुपालन न करते

267
06/02/19

	झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक के पद पर पदस्थापित होकर कार्य कर रहे है ;	हुए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में WP(S) No. 4162/2018 सुशील कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में याचिका दायर कर दिया गया। दिनांक–14.09.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1790 दिनांक–15.10.2018 द्वारा सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करते हुए श्री सुशील कुमार को अधिसूचित कार्यालय में यथास्थिति बनाये रखने का निदेश दिया गया।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, श्री कुमार के विरूद्ध लंबित विभागीय जाँचों को पूर्ण कराकर दंड अधिभारित करने के साथ इन्हें तत्काल प्रभाव से झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पद से हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही/जाँच की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(विधान चन्द्र चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–02/निग0 (विधायी)–05/2019 सह0 267 /राँची, दिनांक– 06/02/2019

प्रतिलिपि:–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0प्र0 800 वि0स0 दिनांक 23.01.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/2/19
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\S.Murmu\Vidhan saba Question 2018.docx

143

श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० द्वारा दिनांक –07.02.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०– अ०सू०–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत दो वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 में कुल राशि 8317.34 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया था;	अस्वीकारात्मक। अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान के लिए विशेष अंगीभूत योजना SCA to SCSP के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 845.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में 796.00 लाख कुल 1641.00 लाख विमुक्त किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतलायेगी कि खण्ड–1 में वर्णित दो वित्तीय वर्षों में अनुसूचित जाति के विकास के लिए योजनाओं कितनी राशि खर्च की गयी।	झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, राँची के पत्रांक–67, दिनांक– 05.02.2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में SCA to SCSP मद में आवंटित राशि 845.00 लाख के विरूद्ध योजनावार निम्नवत् राशि खर्च किया गया है:– 1. बैंक के माध्यम से अनुदान योजना – 2.15 लाख रू० 2. अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना– 250.63 लाख रू० 3. प्रशिक्षण योजना– 127.22 लाख रू० 4. राष्ट्रीय निगम क्रमशः NSFDC तथा NSKFDC की योजना– 21.20 लाख रू० **401.20 लाख रू०** वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा SCA to SCSP मद में 796.00 लाख आवंटित किया गया है। राशि का व्यय निम्न योजनाओ में करने की कार्रवाई की जा रही है– योजना – स्वीकृत राशि 1. बैंक के माध्यम से अनुदान योजना – 60.00 लाख रू० 2. राष्ट्रीय निगम क्रमशः NSFDC तथा NSKFDC की योजना– 85.00 लाख रू० 3. अनुसूचित जाति ग्रामो में सोलर ड्रिंकिग वाटर सिस्टम योजना– 651.00 लाख रू० **796.00 लाख रू०**

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–15/SCA to SCSP–01/2019– 571 राँची, दिनांकः– 08/02/2019

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –1083, दिनांकः–01.02.2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।